भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1958

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में आयुष का संवर्धन

1958. श्री प्रवीण पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में आयुर्वेद शिक्षा, आयुर्वेद औषधियां, आयुष चिकित्सक, आयुष प्रचार विभाग आदि विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस पद्धति की व्यवहार्यता को देखते हुए आयुष का संवर्धन करने के लिए क्या सुविधाएं, संसाधन, औषधियां प्रदान की गई हैं/प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (सुवतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में आयुष पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर कार्यान्वित कर रहा है, ताकि आयुष पद्धतियों की विभिन्न उपचारों के माध्यम से समुदाय को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन, जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का नाम दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।
x. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)।

एनएएम के तहत, प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसाधन पूल/बजटीय आवंटन किया जाता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें समेकित अनुदान सहायता जारी की जा रही है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक जारी अनुदान सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

*****

संलग्नक

एनएएम के तहत, विभिन्न गतिविधियों के लिए वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक जारी अनुदान सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	2629.77
2	आंध्र प्रदेश	7578.05
3	अरुणाचल प्रदेश	5018.04
4	असम	13911.37
5	बिहार	8091.86
6	चंडीगढ़	1759.12
7	छत्तीसगढ़	10741.83
8	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	892.70
9	दिल्ली	726.31
10	गोवा	2324.91
11	गुजरात	13504.05
12	हरियाणा	14105.67
13	हिमाचल प्रदेश	14997.06
14	जम्मू-कश्मीर	21829.78
15	झारखंड	13647.80
16	कर्नाटक	20452.17
17	केरल	24534.46
18	लक्षद्वीप	1721.78
19	मध्य प्रदेश	33012.60
20	महाराष्ट्र	10675.05
21	मणिपुर	8227.99
22	मिजोरम	4833.38
23	मेघालय	5776.16
24	नागालैंड	7898.27
25	ओडिशा	8710.18
26	पुडुचेरी	2367.08
27	पंजाब	5201.82
28	राजस्थान	26782.82
29	सिक्किम	3897.82
30	तमिलनाडु	21206.83
31	तेलंगाना	9789.23
32	त्रिपुरा	4915.42
33	**उत्तर प्रदेश**	**90103.74**
34	उत्तराखंड	14964.02
35	पश्चिमी बंगाल	16292.30
36	लद्दाख	307.04
	कुल	**453428.45**